

प्रेषक,

विष्मी सचदेवा रामन,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
अभियोजन, उत्तराखण्ड,  
देहरादून।

गृह अनुभाग-6

देहरादून: दिनांक- 25 जून, 2018

विषय-

गृह विभाग के नियंत्रणाधीन अभियोजन विभाग, उत्तराखण्ड में अभियोजन संवर्ग के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियाँ/वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट अंकित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त गृह विभाग के नियंत्रणाधीन अभियोजन विभाग, उत्तराखण्ड में अभियोजन संवर्ग के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियाँ अंकित किये जाने हेतु निम्नलिखित व्यवस्था निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

क्र० सं०	कार्यालय /इकाई का नाम	पदनाम	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकृता प्राधिकारी	टिप्पणी
1	2	3	5	6	7	8
1.	अभियोजन निदेशालय	निदेशक, अभियोजन	प्रमुख सचिव, गृह	प्रमुख सचिव, गृह	गृह मंत्री/मा० मुख्यमंत्री	निदेशक, अभियोजन का पद विभागाध्यक्ष स्तर का है।
		अपर निदेशक (विधि)	निदेशक, अभियोजन	प्रमुख सचिव, गृह	प्रमुख सचिव, गृह	-
		संयुक्त निदेशक (विधि)	अपर निदेशक (विधि)	निदेशक, अभियोजन	प्रमुख सचिव, गृह	-
		ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी	अपर निदेशक (विधि)	निदेशक, अभियोजन	प्रमुख सचिव, गृह	-
		अभियोजन अधिकारी	अपर निदेशक (विधि)	निदेशक, अभियोजन	प्रमुख सचिव, गृह	-
2.	मा० उच्च न्यायालय	संयुक्त निदेशक (विधि)	शासकीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय	निदेशक, अभियोजन	प्रमुख सचिव, गृह	-
		अभियोजन अधिकारी	संयुक्त निदेशक (विधि)+शासकीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय	निदेशक, अभियोजन	प्रमुख सचिव, गृह	-
3.	सतर्कता मुख्यालय	संयुक्त निदेशक (विधि)	निदेशक, सतर्कता	निदेशक, सतर्कता	सचिव, सतर्कता	अभियोजन विभाग के ढाँचे में सतर्कता विभाग हेतु कोई पद सृजित नहीं है।
		अभियोजन अधिकारी	निदेशक, सतर्कता	निदेशक, सतर्कता	सचिव, सतर्कता	
4.	अपराध अनुसंधान विभाग	संयुक्त निदेशक (विधि)	आसन्न पर्यवक्षी अधिकारी, जो पुलिस महानिरीक्षक /पुलिस उप महानिरीक्षक के स्तर से कम का न हो	सम्बन्धित प्राधिकारी, जो अपर पुलिस महानिदेशक स्तर से कम का न हो	पुलिस महानिदेशक	-

		अभियोजन अधिकारी	संयुक्त निदेशक (विधि)	सम्बन्धित प्राधिकारी, जो पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक के स्तर से कम का न हो	अपर पुलिस महानिदेशक	
5.	जनपद देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं उधमसिंह नगर	संयुक्त निदेशक या जनपद प्रभारी (ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी/अभियोजन अधिकारी)	जिला मजिस्ट्रेट	निदेशक, अभियोजन	प्रमुख सचिव, गृह	-
अभियोजन अधिकारी		संयुक्त निदेशक	जिला मजिस्ट्रेट	निदेशक, अभियोजन	-	
सहायक अभियोजन अधिकारी		संयुक्त निदेशक	जिला मजिस्ट्रेट	निदेशक, अभियोजन	-	
6.	जनपद चौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, एवं चम्पावत	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी	जिला मजिस्ट्रेट	निदेशक, अभियोजन	प्रमुख सचिव, गृह	-
अभियोजन अधिकारी		ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी	जिला मजिस्ट्रेट	निदेशक, अभियोजन	-	
सहायक अभियोजन अधिकारी		ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी	जिला मजिस्ट्रेट	निदेशक, अभियोजन	-	

2- इस आशय के पूर्व में निर्गत शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीया,


(विष्णु सचदेवा रामन)  
अपर सचिव।

संख्या-697 (1)/XX-6/2018-01(01)2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, सतर्कता मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तराखण्ड।
5. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, अभियोजन/ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी/अभियोजन अधिकारी एवं अभियोजन कार्यालय के प्रभारी, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

  
(ज्योतिर्मय त्रिपाठी)  
अनु सचिव।